

# समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मोप्र० गवालियर

निगरानी कमाक

/2016 जवलपुर R 4370 - ८१६

66

बिहारीलाल पिता श्री लाल सिंह  
पुरतेती(गोड) निवासी भेडाघाट रोड पेट्रोल  
पम्प के पास, तहसील व जिला जवलपुर  
म.प्र.।

आवेदक

विरुद्ध

श्री बिहारीलाल पाटी

द्वारा आज दि २९.१२.१६ को

प्रस्तुत

कलेक्टर ऑफ टैक्स १२/१६

राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

१०९२

२९.१२.१६



न्यायालय कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 119/अ-21/2015-2016 मे  
पारित आदेश दिनांक 19.12.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता  
1959 की धारा 50 के अधीन निगरानी

(गोप्य)  
बिहारीलाल पाटी  
२९.१२.१६

माननीय महोदय,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम चंदेरी प०ह०न० ३९ रा.नि.म. बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं. 27, 28 रकवा कमशः 0.810, 0.420 हेक्टेयर कुल रकवा 1.230 हे. भूमि आवेदक की स्वयं की निजी कृषि भूमि है जो भूमि कम उपजाऊ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विक्य कर शेष बच रही भूमि की उन्नती, बाजार का कर्ज चुकाने हेतु भूमि को विक्य किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विक्य हेतु




१०९२

# राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4370 / 1 / 2016

जिला—जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि एव आवेदक के हस्ताक्षर
6-८-१७	<p>यह निगरानी कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 119/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने कलेक्टर जवलपुर को आवेदन पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम चंदेरी प0ह0नं0 39 रा. नि.मं.बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 27, 28 रकवा कमशः 0.810 , 0.420हे. कुल रकवा 1.230हे. भूमि कम उपजाऊ और कृषि हेतु अनुपयुक्त एंव पथरीली अन-उपजाऊ होने से भूमि को विक्रय कर मोजा घाटपिपारिया एवं मौजा तिन्सा की भूमि को कृषि योग्य बनाने विकास एंव सिचाई एंव कृषि उपकरणों आदि के साधन बनाने हेतु एंव अन्य आवश्यक कार्यों हेतु एवं बच्चों की शिक्षा देने हेतु रूपयों की आवश्यकता हेतु भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 119/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र का निराकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न किये जाने से दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3— निगरानी मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के ताँक सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>4— आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे</p>	

B  
JK

कमाक 27,28 रकवा 1.230 हेक्टेयर के विक्य की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि यह भूमि पड़ती कम उपजाउ और कृषि हेतु अनुपयुक्त एंव पथरीली होने से भूमि को विक्य कर पारिवारिक जरूतो को पूरा करने हेतु एंव शेष बच रही भूमि की उन्नती हेतु एंव बच्चो की शिक्षा देने हेतु रूपयों की आवश्यकता हेतु विक्य करना चाहता है। उसके पास विक्य की जाने वाली भूमि के अंतिरिक्त ग्राम घाटपिपारिया में लगभग 4.470 है। भूमि असिचित शेष बच रही है। जो कि उसके व उसके परिवार के भरण पोषण हेतु प्रयाप्त है। जिसके कारण विक्य की जाने वाली भूमि के विक्य उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा एंव भूमि विक्य से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत बनायेगा इसलिये भूमि विक्य का प्रयोजन भी सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विक्य अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नहीं आती है। वैसे भी आवेदक द्वारा विक्य की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विक्य की अनुमति मांगी गई है। माननीय विष्णु न्यायालय के कई न्याय सिद्धात प्रतिपादित है कि आवेदक अपनी भूमि स्वामी की भूमि को या पटटे से प्राप्त की गई भूमि को 10 वर्ष के पश्चात विक्य कर सकता है इसके लिये कलेक्टर से विक्य की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। एवं कई न्याय सिद्धात भी इस प्रकार है—

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा एक अन्य 2013 रा०नि०-०८—माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि—

(1)भू—राजस्व संहिता ,1959 (म०प्र०)—धारा 165(7—ख)तथा 158 (3) का लागू होना—उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये—बिना अनुमति के भूमि का अंतरण—उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया—उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया —उपबंध आकर्षित नहीं होते—भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन—का सिद्धात —नवीन उपबंध का अंतःस्थापन —भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया —ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरुद्ध महिला श्यामबाई 2004रा०नि०183में व्यवस्था की गई है कि भू—राजस्व संहिता 1959(म०प्र०)—धारा 165(7—ख) सरकारी पटटेदार द्वारा

B/

आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंजित किये -भूमि का विक्रय कर सकता है - कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 119/अ-21/2015-16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 19.12.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को ग्रम चंदेरी प0ह0नं0 39 रा.नि.मं.बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 27, 28 रकवा कमशः 0.810 , 0.420 हे. कुल रकवा 1.230 हेक्टेयर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1-भूमि का क्रय-विक्रय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2-भूमि का क्रय -विक्रय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3-केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

  
सदस्य

P  
2/4